प्रेस विज्ञप्ति

30.12.2025

ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2883 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का पर्दाफाश किया; नौकरशाहों, राजनीतिक अधिकारियों और निजी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने 26.12.2025 को एक और पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग में 2019 से 2023 के बीच चलाए गए एक बड़े भ्रष्टाचार का ब्यौरा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2883 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) प्राप्त हुई है। जांच में एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसने अवैध कमीशन और बेहिसाब शराब की बिक्री सहित एक बहुस्तरीय तंत्र के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य की शराब नीति का दुरुपयोग किया।

इस गिरोह ने चार अलग-अलग माध्यमों से अवैध कमाई की:

भाग-ए (अवैध कमीशन): सरकारी बिक्री पर शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत ली जाती थी, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली "लैंडिंग कीमत" को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सुगम बनाया जाता था, जिससे रिश्वत का वित्तपोषण प्रभावी रूप से सरकारी खजाने के माध्यम से होता था।

भाग-बी (अघोषित बिक्री): एक समानांतर प्रणाली के तहत, नकली होलोग्राम और नकद में खरीदी गई बोतलों का उपयोग करके सरकारी दुकानों के माध्यम से "बिना हिसाब-किताब वाली" देसी शराब बेची जाती थी, जिससे सभी उत्पाद शुल्क और करों से बचा जा सके।

भाग-सी (कार्टेल कमीशन): राज्य में बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखने और परिचालन लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए शराब बनाने वाली कंपनियों द्वारा वार्षिक रिश्वत दी जाती थी।

एफएल-10ए लाइसेंस: विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई थी, जिसमें मुनाफे का 60% हिस्सा सिंडिकेट को जाता था।

ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में तत्कालीन राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में अवैध वित्तीय लाभ के लिए रची गई गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। ईडी द्वारा दायर नवीनतम अभियोजन शिकायत में 59 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब तक आरोपियों की कुल संख्या 81 हो गई है। आरोपियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -

• **नौकरशाह: अनिल तुतेजा (सेवानिवृत्त आईएएस)**, जो उस समय संयुक्त सचिव थे, और **निरंजन दास (आईएएस),** जो उस समय आबकारी आयुक्त थे, जैसे वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने और सिंडिकेट के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक **अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस)** को अवैध वसूली को अधिकतम करने और भाग-बी संचालन के समन्वय का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जनार्दन कौरव और इकबाल अहमद

खान सहित **30 फील्ड-स्तरीय आबकारी अधिकारियों** को "प्रति मामले निश्चित कमीशन" के बदले बेहिसाब शराब की बिक्री में सुविधा प्रदान करने के आरोप में अभियोजित किया गया।

• **राजनीतिक अधिकारी:** तत्कालीन आबकारी मंत्री **कवासी लखमा** और **चैतन्य बघेल** (तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र) सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों को नीतिगत सहमति देने और अपने व्यापार/रियल एस्टेट परियोजनाओं में पीओसी प्राप्त करने/उपयोग करने में उनकी भूमिका के लिए अभियोजित किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव **सौम्या चौरसिया** को अवैध नकदी के प्रबंधन और अनुपालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन में प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया।

• **निजी व्यक्ति एवं संस्थाएँ:** इस गिरोह का नेतृत्व **अनवर ढेबर** और उनके सहयोगी **अरविंद सिंह** कर रहे थे। **मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स** और **मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज** सहित निजी निर्माताओं ने जानबूझकर पार्ट-बी के अंतर्गत आने वाले शराब के अवैध निर्माण में भाग लिया और साथ ही पार्ट-ए और पार्ट-बी कमीशन का भुगतान भी किया। **सिद्धार्थ सिंघानिया** (नकदी संग्रह) और **विधु गुप्ता** (नकली होलोग्राम की आपूर्ति) जैसे सहायक भी इस धोखाधड़ी में प्रमुख निजी भागीदार पाए गए।

गिरफ्तारियां और प्रवर्तन कार्रवाई: 2002 के पीएमएलए की धारा 19 के तहत कुल **नौ प्रमुख व्यक्तियों** को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री), चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र), श्रीमती सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव) और निरंजन दास (आईएएस) शामिल हैं। इनमें से कुछ को फिलहाल जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में हैं।

संपत्ति की कुल कुर्की: ईडी ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर कुल **382.32 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इन कुर्क की गई संपत्तियों में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं से जुड़ी 1,041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर का **होटल वेनिंगटन कोर्ट** और ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां।